

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

लाभांश वितरण पॉलिसी

प्रस्तावना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (दी "कंपनी") के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015 में 8 जुलाई, 2016 से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन एवं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा विनियम 43 ए को शामिल किया गया है। विनियम 43ए के अनुसार मार्केट पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को निकाले गए) पर आधारित टॉप की पांच सौ सूचीबद्ध प्रविष्टियों द्वारा एक लाभांश वितरण पॉलिसी बनाई जाएगी जिसका उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अपने वेबसाइट पर खुलासा करना होगा। निर्धारित आधार के अनुसार इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 31 मार्च, 2016 को कंपनी टॉप 500 प्रविष्टियों में शामिल है अतः लाभांश वितरण पॉलिसी बनाई गई है।

15 नवम्बर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल (दी "बोर्ड") ने कंपनी की लाभांश वितरण पॉलिसी (दी "पॉलिसी") को स्वीकृति प्रदान की।

उद्देश्य

इस पॉलिसी का उद्देश्य सदस्यों के लिए एक नियमित लाभांश आय और कंपनी के सभी स्टेकधारकों के लिए लंबी अवधि तक पूंजी विनियोजन सुनिश्चित करना है। कंपनी लाभांश की मात्रा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यापार में अर्जित लाभ राशियों के बीच सही संतुलन सुनिश्चित करेगी। कंपनी की ओर से लाभांश की घोषणा / सिफारिश करते समय निदेशक मंडल द्वारा पॉलिसी को संदर्भित किया जाएगा। इस पॉलिसी के माध्यम से कंपनी द्वारा लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार लाभांश भुगतान योजना के लिए एक नियमित प्रयत्न को बनाए रखने के लिए सुसंगत प्रयास करना होगा।

पॉलिसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा लागू सीमा तक अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर व्यापक रूप से तैयार किया गया है।

लाभांश वितरण के लिए मानक

- कंपनी ने शेयरों की केवल एक श्रेणी को जारी किया है जैसे इक्विटी शेयर्स अतएव नीचे खुलासा किए पैरामीटर्स इसके लिए लागू होते हैं।
- बोर्ड द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान पर विचार करते समय आपस में निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है :-
- कंपनी के सामान्य प्रारक्षित के साथ-साथ वित्तीय वर्ष के लिए लाभ।
- भविष्य के लाभ एवं नकद निकासी का प्रोजेक्शन।
- उधार स्तर एवं उधार लेने की क्षमता।
- ऑर्गेनिक / इनऑर्गेनिक विकास साधनों सहित कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की पूंजी व्यय योजना।
- लाभांश पर कर सहित लागू कर।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों या भारत-सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- कंपनी और उद्योग के लिए अतीत के लाभांश ट्रेंड।
- अर्थ-व्यवस्था और पूंजी मार्केट की स्थिति।
- बोर्ड द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य कारक।
- कंपनी समय-समय पर निवेश एवं सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारत-सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश की घोषणा का प्रयास करती है।
- कंपनी का एक विश्व-स्तरीय ऊर्जा कंपनी बनने का प्रयास रहा है और आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजी आउटले की योजना है। लाभांश के वितरण के बाद बचे हुए लाभ का प्रमुख रूप से इसके लिए उपयोग किया जाता है।
- बोर्ड द्वारा जब और जैसा उचित समझने पर अंतरिम लाभांश की घोषणा किया जा सकता है और कंपनी की आगामी सामान्य बैठक में उनकी स्वीकृति के लिए शेयरधारकों के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश की जाती है।

सामान्य

- कंपनी अपने पास उचित समझने पर या कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड या ऐसे अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इस पॉलिसी के किसी या सभी प्रावधानों में परिवर्तन, सुधार, जोड़ना, हटाने या संशोधन का अधिकार सुरक्षित रखती है। तथापि, पॉलिसी में परिवर्तन का उसके औचित्य के साथ कंपनी के वेबसाइट तथा लागू विनियामक प्रावधानों के अनुसार आगामी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया जाएगा।